

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

26-9-14

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख अंचल अधिकारी, खिजरसराय के कार्यालय पत्रांक 609 दिनांक 16.09.2014 से भूमि हस्तान्तरण वाद सं० 27/2014-15 ग्राम-नादरा, पंचायत-हथियावाँ में वन विभाग बिहार सरकार को भूमि हस्तान्तरण हेतु अभिलेख उचित माध्यम से प्राप्त हुआ है।

वन विभाग बिहार सरकार को ग्राम-सपनेरी के खाता सं० 438 खेसरा सं० 2644 कुल रकवा 3.42 एकड़ में से 1.20 एकड़ भूमि अनावाद बिहार सरकार वन विभाग के भूमि के बदले में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि अनावाद बिहार सरकार शिरस्ते की भूखण्ड का विवरण निम्नवत है:-

गौजा	थाना न०	प्रस्तावित संस्था का नाम एवं पता	खाता	प्लॉट	रकवा	भूमि का किश्म
नादरा	09	वन विभाग बिहार सरकार ग्राम- नादरा, पंचायत-हथियावाँ, थाना-खिजरसराय, जिला-गया।	646	1	1.20 एकड़	परती काबिल आवाद

अ० कार्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि अनावाद बिहार सरकार खातों की भूखण्ड मौका पर परती काबिल आवाद है उक्त खेसरा को वन विभाग बिहार सरकार के नाम से स्थानान्तरण किया जा सकता है। पूर्व में ग्राम-सपनेरी में खाता सं० 438 खेसरा सं० 2644 रकवा 1.20 एकड़ में स्टेडियम के लिए प्रस्ताव भेजा गया था उसके बदले में यह भूखण्ड दिया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में चिन्हित भूखण्ड का प्रस्ताव तैयार कर अनुरोध के साथ अ० अ० द्वारा अग्रसारित किया गया है।

अभिलेख के साथ नक्सा, चेक स्लिप, खतियान की सच्ची प्रति, आम व खास का जॉच प्रतिवेदन, प्रस्तावित भूखण्ड का लम्बाई एवं चौड़ाई से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अभिीन से प्राप्त कर तथा संबंधित पंचायत सचिव से स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण की सहमति ग्राम सभा से प्राप्त है जो अभिलेखबद्ध है।

अतएव ग्राम-नादरा के थाना सं० 09, खाता सं० 646, खेसरा सं० 1, रकवा 1.20 एकड़ अन्तर्गत भूखण्ड स्टेडियम निर्माण के भूखण्ड के बदले अनावाद बिहार सरकार परती काबिल आवाद भूखण्ड अंचल अधिकारी, खिजरसराय के अनुशंसा के आलोक में वन विभाग को भूमि हस्तान्तरण हेतु अनुशंसित किया जाता है।

अभिलेख अग्रेतर कार्यवाई हेतु अपर समाहर्ता, गया को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार एवं समाहर्ता,
नीमचक बथानी, गया।

अनुमंडित पदाधिकारी,
नीमचक बथानी, गया।